कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक / 2246 / एस.डब्ल्यू. / 2020 सिवनी, दिनांक 01 अप्रैल, 2020

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुसार आगामी 21 दिवस (दिनांक 14.04.2020 तक) के लिए टोटल लॉक डाउन किया गया है। प्रायः देखने में आ रहा है कि इस अवधि में पंजीकृत चिकित्सालय या पंजीकृत क्लीनिकों को बंद रखा जा रहा है जिससे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही है एवं मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 (ङ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेशित करता हूँ कि–

1. जिला सिवनी में सिर्फ पंजीकृत चिकित्सालय या पंजीकृत क्लीनिकों के चिकित्सकों को ही वर्तमान बंद के दौरान जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के आदेश के तहत उनके निजी चिकित्सालय/क्लीनिक खोलें व मरीजों को अटेंड करने की अनुमति होगी।
2. प्रत्येक प्रायवेट चिकित्सक को उपचार के दौरान प्रत्येक मरीज से किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आने की जानकारी तथा उसकी ट्रेव्हल हिस्ट्री को उसकी ओ.पी.डी. टिकिट में या इनडोर टिकिट में अंकित करना आवश्यक होगा।
3. यदि मरीज को बुखार, सूखी खांसी अथवा सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है और यदि ट्रेव्हल डिस्ट्री या कान्टेक्ट हिस्ट्री पाजिटिव आती है तो ऐसे मरीज को जिला चिकित्सालय सिवनी में स्क्रीनिंग हेतु टेली मेडिसिन सेंटर/कंट्रोल रूम नम्बर 07692–220232, 227423 या 223966 में सूचना देकर स्क्रीनिंग कराने की सलाह देना होगा।
4. प्रायवेट चिकित्सक बिना स्पष्ट गाईड लाइन या आधार के किसी भी मरीज को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह नहीं देगें यदि प्रायवेट चिकित्सक कोरोना संभावित मरीज को टेस्ट की सलाह देते है तो उस व्यक्ति को जिला चिकित्सालय भेजने की नैतिक जवाबदारी प्रायवेट चिकित्सक की रहेगी तथा उन्हें यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
5. प्रति सप्ताह देखे गए मरीजों का गोसवारा अपने क्लीनिक/अस्पताल में तैयार कर रखना होगा, जिसे मांगे जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा ।
6. जिला चिकित्सालय सिवनी में एक अपर रेसप्रेरेटिटी ट्रेक्ट इनफेक्शन वार्ड तथा इनफेक्सियस ओ.पी.डी. चलाई जा रही है उसमें प्रायवेट चिकित्सक स्वयं का रोस्टर बनाकर शासकीय चिकित्सक के साथ अपनी सेवाएं स्वेच्छा से दे सकते है।
7. सभी प्रायवेट चिकित्सकों को अपनी क्लीनिक में हेंड सेनेटाईजर, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करना होगा ।
8. पंजीकृत 60 वर्ष के ऊपर के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित चिकित्सकों को क्लीनिक चलाने या न चलाने की स्वयं के विवेक के आधार पर छूट होगी।

यह आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा। आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक / 2246-A / एस.डब्ल्यू. / 2020 सिवनी, दिनांक 01 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी / बरघाट / केवलारी / लखनादौन / घंसौर / कुरई
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला सिवनी
7. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सिवनी / बरघाट / लखनादौन
8. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिवनी
9. नोडल अधिकारी, कोनोरा वायरस सेल, जिला चिकित्सालय, सिवनी
10. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सिवनी की ओर आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

Scanned with CamScanner